प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4827/2008

याचिकाकर्ता डॉ. दीप्ति शुक्ला

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

आदेश की उद्घोषणा हेतु 09.01.2012 को सूचीबद्ध करें।

सही /–
प्रितिंकर दिवाकर
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4827/2008

याचिकाकर्ता डॉ. दीप्ति शुक्ला

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री राजा शर्मा, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।
श्री अभिषेक सिन्हा, उत्तरवादीगण की ओर से अधिवक्ता।
श्री शशांक ठाकुर, अधिवक्ता प्रस्तावित हस्तक्षेपकर्ता दीपमाला देवांगन की ओर से ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

आदेश दिनांक 09.01.2012

1.इस रिट याचिका में चुनौती उत्तरवादीगण द्वारा दिनांक 14.08.2008 को जारी आदेश/पत्र के विरुद्ध है, जिसके द्वारा सहायक पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक के पद हेतु याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता इस आधार पर अस्वीकृत की गई कि उसने अपने आवेदन के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया था।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि कृषि एवं पशुपालन विभाग में सहायक पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक के पद हेतु दिनांक 14.03.2008 का विज्ञापन (अनुलग्नक-पी/2) प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में उक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता का आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि उसने आवेदन-पत्र के साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया था।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं था। उनका कहना है कि उक्त पंजीयन केवल पात्रता की शर्तों में से एक के रूप में निर्धारित था तथा विज्ञापन की धारा 'एक्स' में वे विभिन्न प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज दर्शाए गए हैं, जिन्हें आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना था, किंतु कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता को पंजीयन प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य था। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदन-पत्र के स्तंभ क्रमांक 14 में आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है जिसमें शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया जाना है, के अनुसार अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा, हायर सेकेंडरी परीक्षा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर की अंकसूचियाँ/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था तथा इसके पश्चात् “अन्य” शीर्षक का एक स्तंभ है। तथापि, उक्त स्तंभ में भी केवल शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण दिया जाना था, न कि पंजीयन प्रमाण-पत्र का। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, संपूर्ण आवेदन-पत्र तथा विज्ञापन में कहीं भी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद (संक्षेप में "परिषद") में विधिवत् पंजीकृत है और एक बार उसके पास उक्त परिषद का वैध पंजीयन उपलब्ध है, तो मात्र उसे संलग्न न करने के आधार पर उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **डॉली छांडा बनाम चेयरमैन, जे.ई.ई. एवं अन्य**, **ए. आई. आर. 2004 एस. सी. डबल्यू 5699** में प्रतिवेदित, इस न्यायालय के निर्णय **श्वेता पांडे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**, दिनांक 20.11.2010, **रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5297/2010** तथा **राम आशीष श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य,** 2011 (1) सीजी. एल. आर. डबल्यू 204 पर भरोसा किया। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबूत मामला होने के कारण, दिनांक 19.11.2008 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा उसे साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई तथा उक्त साक्षात्कार का परिणाम इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता साक्षात्कार में उपस्थित हुई, किंतु इस रिट याचिका के लंबित रहने के कारण परिणाम घोषित नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि परिषद का पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारित करने तथा उसकी अभ्यर्थिता की प्रक्रिया हेतु अनिवार्य था, ताकि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उसकी पात्रता का परीक्षण किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह सर्वविदित है कि यदि कोई अभ्यर्थी अधिनियम, 1984 के अंतर्गत परिषद में पंजीकृत नहीं है, तो वह परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भी पात्र नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया कि विज्ञापन की सभी धाराओं का समन्वित रूप से पाठ किया जाना चाहिए और

इस प्रकार धाराएँ 4 एवं 10 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था, भले ही इसका विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो। उन्होंने आगे कहा कि स्तंभ क्रमांक 4 में आवश्यक योग्यता का उल्लेख है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी के पास भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन (बी. वी. एससी. एवं ए.एच.) की उपाधि होने के साथ-साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के अंतर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञापन की धारा 'एक्स' में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदन-पत्र के साथ कौन-कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं और ऐसे दस्तावेजों के अभाव में आवेदन-पत्र अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है। उनके अनुसार, विज्ञापन की धारा 10(ख) के अंतर्गत अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण, डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री तथा अनुभव प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था और "आदि" शब्द में पंजीयन प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना भी सम्मिलित है। चूँकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः याचिकाकर्ता की पात्रता आवेदन-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती थी और इसलिए उसकी अभ्यर्थिता को विधिसम्मत रूप से निरस्त किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **डॉली छांडा बनाम चेयरमैन, जे.ई.ई. एवं अन्य**, **ए. आई. आर. 2004 एस. सी. डबल्यू 5699** में प्रतिवेदित, पर भरोसा किया। हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि हस्तक्षेपकर्ता प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 पर स्थित है और अंतरिम आदेश के कारण उसे नियुक्ति आदेश प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित नहीं किया गया है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण एक पद अवरुद्ध हो गया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विज्ञापन दिनांक 14.03.2008 की धारा 04 में आवश्यक योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

आवश्यक अर्हताएं भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच) पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि।

तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिवाद अधिनियम 1984 1984 का 52) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक के पास उपर्युक्त आवश्यक उपाधि एवं उसका पंजीयन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को आवश्यक अर्हता अर्जित करने वाले आवेदक उपर्युक्त विज्ञापित पद के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

उक्त विज्ञापन की धाराएँ 9 एवं 10 (10.ए से 10.1) निम्नानुसार हैं :-

9. आवेदक आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जाच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने अथवा मात्र लिखित परीक्ष्ज्ञा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कतई नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

10. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपिया अवश्य भेजी जानी चाहिए। इनके अभाव में आवेदन-पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा।

10 (अ) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र।

10 (ब) शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण, सथा उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त उम्मीदवार संबंधित पद का वांछित अनुभव आयोग के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रुप से प्राप्त कर लिया हो। बसउ के अपुभव को मान्य नहीं किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा जारी किया गया हो जिसके अनुभव अवधि तहत जारी दिनांक का स्पष्ट उल्लेख हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10 (स) हाई स्कुल/ हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी सार्वजनिक परीक्षाओं की, जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है. समस्त वर्षों/सेमेस्टर की अंकसूचियां।

10 (द) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र-तीन में तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक प्रपत्र चार में छत्तीसगढ शासन द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी का प्रमाण-पत्र। (सदि इा आधार पर कोई रियायत चाही गई हो) अनिवार्य रुप से संलग्न करें। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति

प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से छः माह के भीतर की अवधि का ही मान्य किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा---------- पत्र के अभाव में उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। ---------- कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

10 (र) उपरोक्त कंडिका 5 एक (1), 5 एक (2), 5 एक (3), 5 एक (4), 5

एक (5), 5 एक (7), 5 एक (8), के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए नियोक्ता अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. (ल) कंडिका 5 एक (9) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता

के लिए परित्यकत्ता एवं तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।

10. (व) कडिका 5 एक (10) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए राजीव पाण्डे पुरस्कार गुण्डाधुर सम्मान महाराज प्रवीर चन्द्र सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार पास होने का प्रमाण-पत्र।

6. उपर्युक्त धाराओं के साधारण पठन से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को अथवा उससे पूर्व समस्त शैक्षणिक योग्यताएँ धारण करना अनिवार्य था। धारा 09 से यह भी स्पष्ट है कि अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि होना आवश्यक था तथा उसका परिषद में पंजीयन भी होना आवश्यक था। इसी प्रकार, धारा 10 एवं उसकी उप-

धाराओं में विभिन्न प्रमाण-पत्रों को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने का उल्लेख किया गया है। किंतु किसी भी धारा में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अभ्यर्थी को परिषद द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत अथवा संलग्न करना अनिवार्य है।

7. वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवाद है कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को याचिकाकर्ता परिषद में पंजीकृत थी। तथापि, उसने उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नहीं की थी। मात्र प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न न करने के आधार पर याचिकाकर्ता को सहायक पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार से वंचित नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब, जब संपूर्ण विज्ञापन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अभ्यर्थी को उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत अथवा संलग्न करना अनिवार्य था। यदि उत्तरवादीगण ने विज्ञापन में उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न किए जाने का उल्लेख नहीं किया था और यदि याचिकाकर्ता जैसे किसी अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रस्तुत अथवा संलग्न नहीं किया गया, तो उत्तरवादीगण याचिकाकर्ता से यह सत्यापित कर सकते थे कि उसके पास उक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध है अथवा नहीं। सामान्यतः, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को इस प्रकार का पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, जब विज्ञापन में ऐसे दस्तावेज के प्रस्तुत अथवा संलग्न किए जाने का प्रावधान ही नहीं है, तो किसी निष्कर्ष पर पहुँचने एवं याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता निरस्त करने से पूर्व, सावधानीवश उससे उक्त प्रमाण-पत्र माँगा जा सकता था। केवल प्रमाण-पत्र संलग्न न करने के आधार पर याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता निरस्त करना अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण होगा, विशेषकर तब, जब यह स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता विधिवत् परिषद में पंजीकृत है तथा उसके पास परिषद द्वारा जारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रमाण-पत्र विद्यमान है। विज्ञापन जारी करने एवं अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने का मूल उद्देश्य योग्य, मेधावी एवं सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करना होता है तथा तकनीकी औपचारिकताएँ निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया में बाधक नहीं बननी चाहिए। यह लोक सेवा आयोग का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी गलत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी तथ्य को छिपाया गया है, बल्कि यह मात्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने का प्रकरण है। इसी प्रकार के विषय में विधिक स्थिति का प्रतिपादन करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉली छांडा बनाम चेयरमैन, जे.ई.ई. एवं अन्य, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. डबल्यू 5699** में प्रतिवेदित प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय दिया है :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> अनुच्छेद 7— सामान्य नियम यह है कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश अथवा किसी पद हेतु आवेदन करते समय, अभ्यर्थी को उस उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक पात्रता योग्यता धारण करना अनिवार्य है, चाहे वह प्रवेश विवरणिका में निर्धारित हो अथवा आवेदन-पत्र में, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं हो सकती, अर्थात् निर्धारित तिथि तक आवश्यक पात्रता योग्यता धारण करना अनिवार्य है। यह पात्रता आवश्यक प्रमाण-पत्र, उपाधि अथवा अंकसूची प्रस्तुत करके सिद्ध की जानी चाहिए। इसी प्रकार, आरक्षण अथवा वेटेज आदि का लाभ प्राप्त करने हेतु भी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये ऐसे दस्तावेज होते हैं, जो किसी विशिष्ट योग्यता, प्राप्त अंकों के प्रतिशत अथवा आरक्षण लाभ की पात्रता का प्रमाण होते हैं। तथापि, किसी प्रकरण के तथ्यों के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत

करने के विषय में कुछ शिथिलता संभव हो सकती है और यह उचित नहीं होगा कि इस विषय में किसी कठोर सिद्धांत को लागू किया जाए, क्योंकि यह प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है। प्रमाण प्रस्तुत करने संबंधी प्रत्येक उल्लंघन अनिवार्यतः अभ्यर्थिता की अस्वीकृति का कारण नहीं बनता।

अनुच्छेद 8— इस सिद्धांत की व्याख्या एवं अनुप्रयोग चार्ल्स के. स्कारिया एवं अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू एवं अन्य, (1980) 2 एस.सी.सी. 752 में किया गया था। वहाँ विवाद चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित था। संबंधित नियम के अंतर्गत, यदि किसी अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय अथवा उप-विशेषता में डिप्लोमा हो, तो उसे 10% अतिरिक्त अंक दिए जाने का प्रावधान था और यह लाभ केवल तभी दिया जा सकता था, जब डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उसकी सफलता की जानकारी चयन समिति को चयन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व किसी प्रामाणिक अथवा स्वीकार्य रूप में दे दी जाए। विवरणिका में यह प्रावधान था कि प्रत्येक आवेदन के साथ अंकों की प्रमाणित प्रतियाँ तथा अन्य दस्तावेज संलग्न किए जाएँ। तीन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किया गया, जिन्होंने अपने आवेदन के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया था। उच्च न्यायालय द्वारा उनका प्रवेश इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उनके आवेदन, जिनमें उन्होंने डिप्लोमा के लाभ का दावा किया था, अस्वीकृत किए जाने योग्य थे, क्योंकि आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किए गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के माध्यम से निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देते हुए, उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और यह माना कि अभ्यर्थियों को प्रवेश विधिसम्मत रूप से दिया गया था, क्योंकि उन्होंने निर्धारित तिथि से पूर्व वास्तव में डिप्लोमा उत्तीर्ण कर लिया था। उक्त सुसंगत निर्णय के अनुच्छेद 20 एवं 24 के सुसंगत अंश, जिनमें उपर्युक्त सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, निम्नानुसार उद्धृत किए जाते हैं :—

"अनुच्छेद 20— डिप्लोमा धारकों को 10 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाने में कुछ भी अनुचित अथवा मनमाना नहीं है। किंतु इन अतिरिक्त 10 अंकों का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि डिप्लोमा आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व प्राप्त कर लिया गया हो, न कि उसके पश्चात्। डिप्लोमा प्राप्त किए जाने का प्रमाण और वास्तव में डिप्लोमा प्राप्त किए जाने का तथ्य, दोनों भिन्न हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभ्यर्थी ने वास्तव में डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व डिप्लोमा प्राप्त कर लिया था? आवेदन के साथ डिप्लोमा का प्रमाण प्रस्तुत करना विवेकपूर्ण है, किंतु वह द्वितीयक है। प्रथम विषय में तिथि में शिथिलता अवैध है, परंतु द्वितीय विषय में नहीं। जिस डिप्लोमा के आधार पर अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाते हैं, उसके माध्यम से प्राप्त अकादमिक उत्कृष्टता को केवल इस कारण से नकारा नहीं जा सकता कि उसका प्रमाण बाद में, किंतु वास्तविक चयन की तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया गया हो। बल डिप्लोमा पर है; उसका प्रमाण केवल डिप्लोमा के धारक होने के तथ्य की पुष्टि करता है और वह कोई स्वतंत्र कारक नहीं है। प्रमाण प्रस्तुत करने की विधि का उद्देश्य संबंधित योग्यता की प्राप्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को सिद्ध करना है। दोनों को एक साथ जोड़कर समय की दृष्टि से अनिवार्य बना देना, विधि की समुचित व्याख्या एवं यथार्थपरक दृष्टिकोण के विपरीत है। सहायक तत्व योग्यता के प्रमाण का सुरक्षित माध्यम है। किसी तथ्य और उसके प्रमाण के बीच भ्रम करना स्पष्ट विवेक का अभाव है। आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अतिरिक्त योग्यता अर्जित करने की तिथि को अनिवार्य बनाना तर्कसंगत है; किंतु यदि यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाए कि योग्यता संबंधित तिथि से पूर्व प्राप्त कर ली गई थी, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में है, तो केवल इस आधार पर कि उसका प्रमाण कुछ दिन बाद, किंतु चयन से पूर्व अथवा विवरणिका में उल्लिखित विधि से भिन्न किन्तु पूर्णतः पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत किया गया, उस मेरिट तत्व को अमान्य ठहराना, प्रक्रिया को साधन के बजाय साध्य बना देना होगा तथा रूप को सार पर प्रधानता देना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"अनुच्छेद 24— यह सर्वविदित है कि यह औपचारिकतावादी एवं अनुष्ठानात्मक दृष्टिकोण अव्यावहारिक है तथा अनजाने में पीड़ादायक, अन्यायपूर्ण एवं इस प्रक्रिया के उद्देश्य को विफल करने वाला है। समस्याओं को इस प्रकार देखने का दृष्टिकोण प्रशासनिक, न्यायिक तथा यहाँ तक कि विधायी प्रक्रियाओं को भी अमानवीय बना देता है, जबकि विधि का उद्देश्य मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य को विधि के लिए। प्रशासन में होने वाली अधिकांश कठिनाइयाँ एवं उत्पीड़न, बाह्य तत्वों पर अत्यधिक बल देने तथा मूल तत्वों की उपेक्षा करने से उत्पन्न होते हैं। हमारा मत है कि शासन एवं चयन समिति ने डिप्लोमा धारण किए जाने के प्रमाण प्रस्तुत करने की विधि को

निर्देशात्मक (आज्ञापक नहीं) तथा डिप्लोमा का वास्तविक धारण किया जाना अनिवार्य मानकर विधिसम्मत कार्य किया। व्यवहारिक जीवन में यह सर्वविदित है कि उपाधियों, डिक्री तथा विलेखों की प्रतियाँ प्राप्त करना, अन्य प्रमाणित दस्तावेजों जैसे विश्वविद्यालयों से अंकसूचियाँ, यहाँ तक कि न्यायालयों से जमानत आदेश एवं सार्वजनिक कार्यालयों से शासकीय आदेश प्राप्त करना भी अत्यंत विलंबकारी एवं कष्टसाध्य होता है।"

8. यह न्यायालय लोक सेवा आयोग (पी.एस.सी.) के इस तर्क में कोई बल नहीं पाता कि यदि याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, तो उन सभी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी जिनके आवेदन-पत्र किसी न किसी कारण से पी.एस.सी. द्वारा निरस्त किए गए हैं और वे इस न्यायालय की शरण लेंगे। पी.एस.सी. द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में इस प्रकार का कोई विवरण नहीं दिया गया है और मात्र ऐसे कथन के आधार पर किसी अभ्यर्थी की मेधा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, अंततः याचिकाकर्ता का चयन खुली प्रतिस्पर्धा में उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा और यदि वह उक्त प्रतिस्पर्धा में सफल होकर चयन योग्य पाई जाती है, तो उसकी मेधा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह न्यायालय उत्तरवादीगण के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता कि विज्ञापन की सभी धाराओं को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता को परिषद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था। सभी धाराओं को संयुक्त रूप से पढ़ने पर भी यह अनिवार्य नहीं होता कि अभ्यर्थी को परिषद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न अथवा प्रस्तुत करना ही होगा। विज्ञापन की धारा 10 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आवेदन-पत्र के साथ कौन-कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं, किंतु कहीं भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह नहीं दर्शाया गया है कि अभ्यर्थी को परिषद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य था।

9. यह न्यायालय उत्तरवादीगण के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता कि धारा 10-ख में प्रयुक्त शब्द "आदि" का तात्पर्य परिषद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत अथवा संलग्न करना भी है। यदि उत्तरवादीगण का ऐसा अभिप्राय होता, तो वे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करते कि परिषद का ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मात्र "आदि" शब्द के प्रयोग से अभ्यर्थी पर ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह न्यायालय उत्तरवादीगण के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता कि अधिकांश अभ्यर्थियों ने परिषद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है और इसलिए याचिकाकर्ता को भी वही प्रस्तुत करना आवश्यक था। **ललित जांगड़े बनाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (रिट याचिका क्रमांक 3084/2011),** जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2011 को किया गया, उत्तरवादीगण के लिए सहायक नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा विशेष शिथिलता का दावा किया गया था और उसी शिथिलता के संदर्भ में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक था। लगभग समान तथ्यों वाले प्रकरण में **श्वेता पांडे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5297/2010)** तथा **राम आशीष श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2011 (1) सीजी. एल. आर 204** में प्रतिवेदित, इस न्यायालय ने अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की थी, यद्यपि उन्होंने सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, किंतु वे उनके विधिपूर्ण धारक थे।

11. अतः उपर्युक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है। पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा यह इंगित किया गया है कि दिनांक 19.11.2008 के अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है, तथापि उससे संबंधित परिणाम घोषित न करने का निर्देश दिया गया था। इन परिस्थितियों में, उत्तरवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करें तथा चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ। जहाँ तक हस्तक्षेपकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन का संबंध है, उस पर कोई पृथक आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि परिणाम घोषित होने पर याचिकाकर्ता का चयन हो जाता है, तो हस्तक्षेपकर्ता को संभवतः कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तथापि, यदि याचिकाकर्ता का चयन नहीं होता है, तो हस्तक्षेपकर्ता का मामला विधि के अनुसार स्वतः विचाराधीन होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेशानुसार।

सही /–
प्रितिंकर दिवाकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुवादक . प्रशांत पारख
अधिवक्ता
जिला न्यायालय जिला बालोद ;छण्गण्द्ध